



ई, मेल :- dforudraprayag@gmail.com

फोन/ फ़ैक्स नं० :- 01364 - 233505::

पता :- माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रुद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक :- 1787/ 12-1(2) दिनांक 31/12/2021::

सेवा में

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण निगम
रुद्रप्रयाग।

विषय:- तिलवाड़ा नगर पंचायत पेयजल योजना (1.234 है०) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।

सन्दर्भ :- आपकी पत्र संख्या-4048/वन भूमि/112 दिनांक 05.12.2021।
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक पत्र द्वारा प्रेषित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का अवलोकन करने पर निम्न कमियां पायी गई, जिनके निराकरण हेतु इस कार्यालय की पत्र संख्या-648/12-1(2) दिनांक 09.09.2020 के द्वारा पूर्व में भी आपको निर्देशित किया गया था, किन्तु आप द्वारा उक्त पत्र से लगाई गई आपत्तियों का पूर्ण निराकरण नहीं किया गया है, जो कि निम्न प्रकार हैं-

- (1) वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र-2 भाग-1 में दिनांक एवं स्थान नहीं भरा गया है।
- (2) प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि 1.00 है० से अधिक है, जिसके एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगनी वन भूमि अर्थात् 1.234 ha. X 2 = 2.468 ha. आरक्षित भूमि (रतनपुर क०सं०-7) चयनित कर दी गई है, जिसके डिजिटल/टोपोशीट मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न हैं, किन्तु चयनित क्षेत्र का क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं वृक्षारोपण प्राक्कलन (प्रपत्र-35 एवं 36) संलग्न नहीं हैं। अतः संबंधित वन क्षेत्राधिकारी से उक्त प्राक्कलन एवं प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्ताव में संलग्न करें।
- (3) वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र के डिजिटल/टोपोशीट मानचित्रों में परियोजना का नाम स्पष्ट नहीं है।
- (4) वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न मलवा निस्तारण योजना व मानचित्र प्रमाण पत्र (प्रपत्र-41) में उल्लेख किया है कि परियोजना से उत्पादित मलवे के वैज्ञानिक विधि से उचित निस्तारण की योजना मय मानचित्र व उपचार योजना के प्राक्कलन सहित संलग्न की जा रही है, किन्तु प्रमाण पत्र के साथ योजना, मानचित्र तथा विवरण संलग्न नहीं है रिक्त प्रपत्र हस्ताक्षर कर प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।
- (5) प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर०सी०पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन (प्रपत्र-44) संबंधित वन क्षेत्राधिकारी से प्राप्त कर प्रस्ताव में संलग्न करें।

उपरोक्त कमियों को पूर्ण कर संशोधित प्रपत्रों को ऑनलाईन अपलोड कर प्रस्ताव पुनः ऑनलाईन एवं हार्ड प्रति में इस कार्यालय को प्रेषित करें, तत्पश्चात् प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जानी सम्भव होगी। आप द्वारा प्रेषित वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की 02 प्रतियां मूल में संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार। (प्रस्ताव की 02 प्रतियां)

भवदीय

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या- 1787 / दिनांकित।

प्रतिलिपि :- वन क्षेत्राधिकारी दक्षिणी जखोली रेंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।